सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 379 राँची, गुरुवार, 31 जुलाई, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

21 जुलाई, 2025

विषयः- **माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P. (S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P. (S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ताओं की सेवा दिनांक 16.01.1994 से नियमितीकरण के संबंध में ।**

स०सं०-03/गृ० (का०)-स्था० (कोर्ट)-39/2022-4513--श्री उमेश पासवान, कक्षपाल (सम्प्रति सेवानिवृत्त 31.07.2023) एवं श्री राम विनय शर्मा, कक्षपाल (सम्प्रति सेवानिवृत्त31.12.2022) द्वारा कक्षपाल के पद पर दिनांक-16.01.1994 के प्रभाव से नियमित करने के निमित दायर वाद W.P.(S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P.(S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-04.07.2023 को पारित न्यायादेश का अंश निम्नवत् है -

"..... 7. As a sequitur to the aforesaid rules, regulations, guidelines and judicial pronouncement, the impugned orders dated 3.9.2021 and 7.9.2021 passed in both the writ petitions are hereby quashed and set aside. The respondent no. 2 is hereby directed to consider the case of the petitioners for regularization with effect from

16.01.1994 with all consequential benefits. Let an order to that effect be passed within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order....."

2. Case का Chronological History निम्नवत् है :-

(i) याचिकाकर्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा, दिनांक-08.12.1984 से कक्षपाल के पद पर Temporary Basis पर कार्यरत थे ।

(ii) अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, भागलपुर के आदेश सं०-30, दिनांक-16.01.1994 द्वारा दिनांक-16.01.1994 के प्रभाव से सेवा सम्पुष्ट किया गया, जिसे तत्कालीन कारा महानिरीक्षक, पटना बिहार के आदेश दिनांक 30.08.1996 द्वारा निरस्त किया गया ।

(iii) राज्य विभाजन के पश्चात् अस्थायी कक्षपाल श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा झारखण्ड कैडर में स्थानान्तरित होकर सेवा दिये ।

(iv) बिहार कैडर में कार्यरत अस्थायी कक्षपालों को CWJC No.-16376 of 2011 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार सरकार द्वारा दिनांक-16.01. 1994 से स्थायी कक्षपाल के रूप में नियमित किया गया ।

(v) झारखण्ड कैडर में कार्यरत याचिकाकर्ता एवं अन्य के द्वारा भी बिहार के अनुरूप नियमित करने हेतु W.P. (S) No.-5074/2009 एवं अन्य याचिकाएँ दायर की गई ।

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा (1) W.P. (S) No.-5074/2009 Murari Lal Sah & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (2) W.P.(S) No.-1451/2016 Salomi Ekka & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (3) W.P.(S) No.-3921/2009 Sumitra Devi & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (4) W.P.(S) No.-5089/2017 Jai Prakash Prasad & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (5) W.P.(S) No.-705/2016 Rajeshwar Dubey & Others Vrs. State of Jharkhand & Others, (6) W.P.(S) No.-3808/2019 Satyendra Kumar Rana & Others Vrs. State of Jharkhand & Others में पारित न्यायादेशों के आलोक में कुल 08 में से 07 अनियमित कर्मियों (विषयांकित दोनों याचिकाकर्त्ता सहित) को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-2674 दिनांक-29.07.2021 द्वारा नियमित करते हुए नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। जबकि 01 याचिकाकर्ता श्री सत्येन्द्र कुमार राणा की आयु 60 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण उनका नियमितीकरण नहीं किया गया। उक्त संकल्प द्वारा सूचीबद्ध 07 अनियमित रूप से नियुक्त कारा कर्मियों की सेवा नियमित करते हुए कारा निरीक्षणालय द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र के आलोक में योगदान की तिथि से नियुक्त किया गया है। तद्लोक में याचिकाकर्त्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा को क्रमशः दिनांक-03.09.2021 एवं 07.09.2021 के प्रभाव से कक्षपाल के पद पर सेवा नियमित करते हुए नियुक्त किया गया।

4. उक्त आदेश के विरूद्ध दोनों याचिकाकर्त्ताओं द्वारा रिट याचिका क्रमशः W.P.(S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P.(S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others दायर किया गया जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक-04.07.2023 को पारित न्यायादेश में संदर्भित दोनों याचिकाकर्त्ताओं को दिनांक-16.01.1994 से नियमित करने का आदेश दिया गया है ।

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा याचिकाकर्त्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा को दिनांक-16.01. 1994 से नियमित करने का परामर्श / मंतव्य दिया गया है ।

6. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(S) No.-1417/2022 Umesh Paswan Vrs. State of Jharkhand & Others एवं W.P.(S) No.-1430/2022 Ram Binay Sharma Vrs. State of Jharkhand & Others में दिनांक-04.07.2023 को पारित न्यायादेश अनुपालन किया जाना अपरिहार्य हो गया है ।

7. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है :-

(i) याचिकाकर्ता श्री उमेश पासवान एवं श्री राम विनय शर्मा को दिनांक-16.01.1994 के प्रभाव से कक्षपाल के पद पर नियमित की जाय ।

(ii) दिनांक-16.01.1994 से याचिकाकर्त्ताओं को नियमित किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि से सभी परिणामी लाभ प्रदान करने हेतु श्री उमेश पासवान को 71.25,695/- (इकहत्तर लाख पच्चीस हजार छः सौ पंचानबे रूपये) मात्र एवं श्री राम विनय शर्मा को 64,58,527/- (चौसठ लाख अन्ठावन हजार पाँच सौ सत्ताईस रूपये) मात्र अर्थात् कुल रूपये 1,35,84,222/- (एक करोड़ पैंतीस लाख चौरासी हजार दो सौ बाईस) का भुगतान की जाय ।

(iii) उक्त तिथि से सेवा नियमितिकरण के फलस्वरूप किये गये निर्धारित वेतन का सत्यापनोपरांत ही देय राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(iv) संदर्भित लिये गये निर्णय को किसी भी मामले में पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा ।

8. प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की सहमति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभागीय संलेख संख्या-4219, दिनांक-09.07.2025 के क्रम में दिनांक-11.07.2025 की बैठक में मद संख्या-13 के रूप में दी गयी है ।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 379 - 50